प्रेषक

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
हरियाणा राज्य।

यादी क्रमांक 10/8–2010 आर0टी0ई0–पी0ई0 (2)
दिनांक, चण्डीगढ़।

विषयः **शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अन्तर्गत कक्षा एक से आठवीं तक अनुदान तथा प्रभारों की समाप्ति के सन्दर्भ में।**

–0–

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अन्तर्गत कक्षा एक से आठवीं तक विद्यार्थियों को मुफ्त एवं अनिवार्य मौलिक शिक्षा प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय दिनांक 01.04.2010 से देश के सभी राज्यों में लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3(2) में निहित व्यवस्था अनुसार कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों से दाखिले के समय एकमुश्त तथा मासिक तौर पर लिए जाने वाले निम्नलिखित व अन्य किसी भी प्रकार के अनुदान या प्रभार या निधियाँ इत्यादि नहीं लिए जाने हैः–

(मासिक रूपये में)

निधियाँ	एक से पांचवी	छठवीं	सातवीं	आठवीं
स्वास्थ्य	---	0.50	0.50	0.50
विज्ञान	---	0.50	0.50	0.50
संगठित फण्ड	---	1.00	1.00	1.00
परीक्षा	---	0.75	0.75	0.75
बाल कल्याण	2.00	2.00	2.00	2.00
रैड क्रास	पन्द्रह रूपये वार्षिक	तीस रूपये वार्षिक		
दृश्य–श्रृव्य	---	0.20	0.20	0.20
संगीत	---	0.40	0.40	0.40
गृह विज्ञान	---	0.40	0.40	0.40
भवन	दस रूपये वार्षिक	दस रूपये वार्षिक	दस रूपये वार्षिक	दस रूपये वार्षिक
खेल	दस रूपये वार्षिक	दस रूपये वार्षिक	दस रूपये वार्षिक	दस रूपये वार्षिक
संचायिका	दस रूपये वार्षिक			
अभिभावक अध्यापक संघ निधि	दो रूपये वार्षिक			
प्रवेश	दस रूपये वार्षिक	दस रूपये वार्षिक	दस रूपये वार्षिक	3.00

इस विषय में मौलिक शिक्षा निदेशालय, हरियाणा द्वारा भारत सरकार के उक्त अधिनियम को लागू किए जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार करके राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसका अनुमोदन माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा कर दिया गया है।

उक्त निर्णय के दृष्टिगत निर्देश दिए जाते है कि सरकारी विद्यालयों के अन्तर्गत कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों से वर्ष 2010–11 से सम्बन्धित ली गई सभी प्रकार की राशि तुरन्त प्रभाव से विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक को वापस लौटा दी जावे। इसके अतिरिक्त **भविष्य में इस प्रकार की कोई राशि या अन्य किसी भी प्रकार की राशि या निधियाँ विद्यार्थियों से**

9/10/10

एकत्रित न की जाये। इस आशय हेतु सम्बन्धित राशि लौटाने का पूरा रिकार्ड एक अलग रजिस्टर पर बनाया जाए। उक्त धनराशि लौटाते समय सम्बन्धित माता–पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर करवाएं तथा प्राप्ति रसीद भी उन्हें उपलब्ध करायें।

उक्त के अतिरिक्त इस नवीनतम निर्णय के सम्बन्ध में अध्यापक–अभिभावक संघ/ग्राम शिक्षा समिति व विद्यालय प्रबन्धक समिति के सदस्यों की सभा बुलाकर उन्हें अनिवार्य रूप से अवगत करवाया जाए तथा सम्बन्धित दस्तावेजों (रिकार्ड) को उपरोक्त समितियों से सत्यापित भी करवाया जाए। इस विषय में यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि आठवीं कक्षा के छात्रों से, जो भी परीक्षा शुल्क वर्ष 2010–11 से सम्बन्धित, यदि लिया गया हो तो उसे भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा मंडल, भिवानी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित विद्यार्थियों/अभिभावकों को तुरन्त प्रभाव से वापस दे दिया जावें।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अधिकारिक क्षमता में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। यह निर्देश 'निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009'' के प्रावधानों के दृष्टिगत जारी किये जा रहे है। किसी भी प्रकार की उल्लंघना की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी अधिनियम के दाण्डिक सावधानों के अन्तर्गत होगा।

सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी इन निर्देशों का क्रियान्वयन दिनांक 15.10.2010 तक सुनिश्चित कर इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से लिखित में दिनांक 20.10.2010 तक सूचित करेंगे।

इस विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि मौलिक शिक्षा निदेशालय, हरियाणा द्वारा शिक्षा विभाग को इस विषय सम्बन्धी कुल अनुमानित राशि 15.71 करोड़ रूपये की भरपाई हेतु अलग से वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

04|10|10

निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

पृष्ठांकन–क्रमांक–सम
दिनांक चण्ड़ीगढ़

1. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विद्यालय शिक्षा।
2. निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा।
3. सभी जिलों के उपायुक्तों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने–अपने जिलों में इन निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए निवारात्मक कदम उठायें।
4. राज्य के समस्त अतिरिक्त उपायुक्त।
5. राज्य के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी।
6. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा मंडल, भिवानी।
7. कमलप्रीत, जूनियर प्रोग्रामर (बैवसाइट पर डालने हेतु)।

निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।